<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>01.04.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स लखानी रबर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, लखानी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 110 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने वर्ष 2021 और 2023 के दौरान सीबीआई, दिल्ली और चंडीगढ़ द्वारा भादस, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों के साथ-साथ प्रमोटरों पीडी लखानी और सुमन लखानी के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विभिन्न बैंकों के साथ जालसाजी के अपराधों से संबंधित कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी मेसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड और समूह की कंपनियों ने मिलकर इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें फंड का दुरुपयोग और अन्य समूह कंपनियों में डायवर्जन, साजिश, गलत तथ्य प्रस्तुत करना और धोखाधड़ी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता बैंकों को 162 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी हुई है। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि शिकायतकर्ता बैंकों द्वारा वितरित किए गए व्यवसाय/पूंजी ऋण और ऋण सुविधाओं में से, लखानी समूह ने प्रमोटरों के निर्देश पर संबंधित पक्षों को घाटे में बिक्री की, सहयोगी कंपनियों के ऋण चुकाए, निदेशकों को असामान्य ब्याज भुगतान किया, इत्यादि।

ईडी ने अब तक एनसीआर क्षेत्र में **20** एकड़ से अधिक के **5** वाणिज्यिक भूखंडों**, 2** एकड़ के एक फार्म हाउस और एक वाणिज्यिक फ्लैट-सह-कार्यालय का पता लगाया है और उन्हें अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

आगे की जांच जारी है।